प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 6461/2010

याचिककर्ता: अग्रसेन महाविद्यालय

बनाम

उत्तरवादीगण: क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश किए जाने हेतु दिनांक 18 जुलाई, 2011 को सूचीबद्ध करें।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 6461/2010

याचिककर्ता: अग्रसेन महाविद्यालय

बनाम

उत्तरवादीगण: क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका)

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

उपस्थित: श्री एच.बी. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता साथ में सुश्री सरीना खान, अधिवक्ता, याचिककर्ता हेतु।

श्री भास्कर प्यासी, अधिवक्ता, उत्तरवादीगण हेतु।

(दिनांक 18 जुलाई, 2011 को उद्घोषित)

1. इस याचिका में चुनौती उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा अपील में पारित किए गए दिनांक 15-9-2010 के आदेश (अनुलग्नक – पी/14) को दी गई है। यह अपील उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा पारित दिनांक 18-5-2010 के आदेश (अनुलग्नक – पी/12) के विरुद्ध दायर की गई थी, जिसमें याचिककर्ता को शैक्षणिक सत्र 2010-11 के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु दी गई मान्यता वापस ले ली गई थी। मान्यता वापस लेने के आधार निम्नलिखित हैं:

1. अनुमोदित भवन योजना प्रस्तुत नहीं की गई।

2. भूमि का क्षेत्रफल केवल 3360 वर्ग फुट है, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) के मानदण्डों के अनुसार अपर्याप्त है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. याचिककर्ता द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि याचिककर्ता संस्थान को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 14 के प्रावधानों के तहत, दिनांक 9-8-2005 के आदेश (अनुलग्नक – पी/1) द्वारा शैक्षणिक सत्र 2005-06 के लिए 100 सीटों की स्वीकृत संख्या हेतु मान्यता प्रदान की गई थी। तत्पश्चात, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा दिनांक 2-3-2006 (अनुलग्नक – पी/2) को संबद्धता प्रदान की गई थी। उक्त मान्यता उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा मान्यता वापसी का आदेश दिनांक 18-5-2010 पारित किए जाने तक जारी रही।

3. श्री अग्रवाल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री खान, विद्वान अधिवक्ता के साथ याचिककर्ता हेतु उपस्थित होते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया है कि याचिककर्ता संस्थान को दिनांक 25-3-2010 का एक कारण बताओ नोटिस (अनुलग्नक – पी/4) जारी किया गया था, जिसमें निम्नलिखित कमियों को इंगित किया गया था:

1. संस्थान द्वारा एक ही भवन में बी.कॉम., बी.सी.ए., पी.जी.डी.सी.ए. एवं बी.एड.पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

2. अनुमोदित भवन योजना प्रस्तुत नहीं की गई।

3. पंजीकृत भूमि विलेख के अनुसार भूमि का क्षेत्रफल केवल 3360 वर्ग फुट है, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) के मानदण्डों के अनुसार अपर्याप्त है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. श्री अग्रवाल आगे यह निवेदन किया कि याचिककर्ता संस्थान ने दिनांक 23-4-2010 को अपना उत्तर (अनुलग्नक – पी/5) प्रस्तुत किया जिसमें यह उल्लेख किया गया कि बी.एड. पाठ्यक्रम दो भवनों में संचालित किया जा रहा था, जिसमें से एक का निर्माण संस्था की स्वयं की भूमि पर किया गया था और दूसरे भवन का निर्माण संस्था द्वारा जैतूसाव मंदिर से दीर्घकालिक पट्टे पर प्राप्त भूमि पर किया गया था। विक्रय का अनुबंध पत्र अनुलग्नक – पी/6 है। तत्पश्चात, याचिककर्ता के प्रत्युत्तर पर विचार करने के बाद, दिनांक 18-5-2010 के आदेश द्वारा मान्यता वापस ले ली गई थी। जिसके विरुद्ध,

उत्तरवादी क्रमांक 2 के समक्ष एक अपील दायर की गई थी। उक्त अपील को दिनांक 15-9-2010 के आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

5. श्री अग्रवाल आगे यह निवेदन किया कि उत्तरवादी क्रमांक 1 ने दस्तावेजों को ठीक से नहीं समझा था। दिनांक 10-6-1999 का एक अन्य किराया नामा (अनुलग्नक – पी/8) भी था, जिसमें यह दर्शाया गया था कि 9300 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाली भूमि भी उपलब्ध थी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2005 (संक्षेप में "विनियम, 2005") के खंड 11 निरसन खंड के तहत मान्यता जारी रखी जा सकती थी, जिसके अनुसार पूर्व में प्रदान की गई मान्यता जारी रहेगी, क्योंकि पूर्वोक्त विनियमों के निरसन से ऐसे निरस्त विनियमों के पिछले संचालन या उसके तहत विधिवत की गई किसी भी बात पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. श्री अग्रवाल नें यह भी निवेदन किया कि पिछले 5 वर्षों से संस्थान में बी.एड. पाठ्यक्रम के संचालन के विरुद्ध छात्रों और शिक्षकों की कोई शिकायत या आपत्ति नहीं है। इस आधार पर मान्यता वापस लेना कि एक ही भवन में कई पाठ्यक्रम चल रहे हैं, तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि ऐसा अन्य संस्थानों में भी संचालित किया जा रहा है। अधिकारियों ने कानून के प्रावधानों की पूरी तरह से अनदेखी की है, क्योंकि भवन का विनिर्देश या बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पुराने संस्थान के लिए नहीं, बल्कि केवल नए संस्थानों की मान्यता के लिए है।

7. दूसरी ओर, उत्तरवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्यासी यह तर्क देंगे कि याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही इस आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए कि दिनांक 18-5-2010 के मूल आदेश को चुनौती नहीं दी गई है, केवल अपील में पारित आदेश को चुनौती दी गई है। यदि अपीलीय आदेश को अपास्त भी कर दिया जाता है, तो भी मूल आदेश प्रभावी बना रहेगा।

8. गुण-दोष के आधार पर, श्री प्यासी नें यह निवेदन किया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) विनियम, 2002 विरचित गए थे जिसके तहत मान्यता प्रदान की गई थी। तत्पश्चात, विनियम, 2005 के अंतर्गत निरसन खंड केवल इस प्रभाव के लिए है कि पूर्व में प्रदान की गई मान्यता निरस्त नहीं होगी, परंतु मान्यता जारी रखने के लिए बुनियादी ढांचे, भवन, कर्मचारी आदि की आवश्यकता एक पूर्व-शर्त है, क्योंकि यदि इसे पूरा नहीं किया जाता है तो शिक्षा के स्तर को बनाए नहीं रखा जा सकता है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. श्री प्यासी नें आगे नें यह निवेदन किया कि याचिककर्ता संस्थान ने विनियम, 2005 के खंड 8.11 का उल्लंघन किया है, क्योंकि संशोधित मानदण्डों और मानकों के खंड 5.1.1 के तहत यह आवश्यकता है कि संस्थान के पास कम से कम 2500 वर्ग मीटर भूमि होनी चाहिए, जिस पर निर्मित क्षेत्र (कक्षा कक्ष आदि) 1500 वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए। प्रत्येक शिक्षण कक्ष में स्थान 10 वर्ग फुट प्रति छात्र होना चाहिए। उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा दिनांक 26-2-2010 को किए गए निरीक्षण में यह पाया गया कि याचिककर्ता संस्थान के पास आवश्यक भूमि और निर्मित क्षेत्र का कब्ज़ा नहीं था।

तदनुसार, एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और याचिककर्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार करने के पश्चात, दिनांक 18-5-2010 को मान्यता वापसी का आदेश पारित किया गया था।

10. श्री प्यासी आगे यह निवेदन किया है कि याचिककर्ता के पास रायपुर शहर में खसरा क्रमांक 1817 की केवल 3360 वर्ग फुट भूमि दिनांक 6-10-1975 के पंजीकृत विक्रय विलेख के तहत है। इसके अतिरिक्त, 9300 वर्ग फुट भूमि दिनांक 10-6-1999 के अपंजीकृत किराया नामा के तहत और 2700 वर्ग फुट भूमि दिनांक 19-11-2001 के अपंजीकृत समझौते के तहत है। अपंजीकृत किराया नामा के तहत भूमि का कब्ज़ा अनुज्ञेय नहीं है। वास्तव में, याचिककर्ता के पास 26900 वर्ग फुट (2500 वर्ग मीटर) की आवश्यकता के विरुद्ध केवल 3360 वर्ग फुट भूमि का कब्ज़ा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. मैंने याचिककर्ता हेतु उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है, अभिवचनों और उनके साथ संलग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है।

12. याचिककर्ता ने कथित तौर पर याचिककर्ता संस्थान के पक्ष में निष्पादित दिनांक 29-4-2011 के दो विक्रय विलेख (अनुलग्नक – पी/19) और (अनुलग्नक – पी/20) और राजस्व अभिलेखों में आगे के नामांतरण को प्रस्तुत किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये दस्तावेज़ तब उपलब्ध नहीं थे जब निरीक्षण किया गया था या जब मान्यता वापसी का आदेश पारित किया गया था। अतः, उत्तरवादीगण की ओर से कोई दोष नहीं पाया जा

सकता है, जब मान्यता वापसी का आदेश और उसके पश्चात, अपील में आक्षेपित आदेश पारित किया गया था।

13. उत्तरवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्यासी का रिट याचिका की पोषणीयता के संबंध में यह तर्क तुच्छ है, क्योंकि यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जिस आदेश के विरुद्ध अपील की जाती है, वह अपील में पारित आदेश में विलीन हो जाता है, यदि अपीलीय आदेश उसकी पुष्टि या समर्थन करता है, तो दोनों आदेश एक साथ बने रहेंगे या एक साथ समाप्त हो जाएंगे। चूँकि पहला आदेश अपीलीय आदेश में विलीन हो गया है, अतः उस प्रथम आदेश को चुनौती देना आवश्यक नहीं है, जिसके कारण अपील दायर की गई थी। केवल पुनर्विलोकन के मामलों में, यदि मुख्य आदेश को चुनौती नहीं दी गई है, तो पुनर्विलोकन में पारित आदेश मुख्य आदेश पर प्रश्न नहीं उठा सकता है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. याचिककर्ता द्वारा पूर्ववर्ती पैराग्राफों में वर्णित और निर्धारित आवश्यकताओं का याचिककर्ता द्वारा खंडन नहीं किया गया है।

15. विनियम, 2005 का खंड 8, अन्य बातों के साथ-साथ, मान्यता प्रदान करने की शर्तों से संबंधित है। विनियम, 2005 के खंड 8 के उप-खंड (1), (5), (8) एवं (11) इस प्रकार हैं:

8. <u>मान्यता प्रदान करने हेतु शर्तें:</u>

(1) किसी संस्थान को शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण संचालित करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) द्वारा निर्धारित मानदण्डों और मानकों से संबंधित सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा। ये मानदण्ड, अन्य बातों के साथ-साथ, वित्तीय संसाधनों, आवास, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, अन्य भौतिक बुनियादी ढांचे, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों सहित योग्य कर्मचारियों आदि से संबंधित शर्तों को सम्मिलित करते हैं।

(5) इन विनियमों के तहत किसी भी संस्थान को तब तक मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि आवेदन की तिथि पर उसके पास आवश्यक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भूमि का कब्ज़ा न हो। सभी भारों से मुक्त भूमि या तो स्वामित्व के आधार पर या कम से कम 30 वर्षों की अवधि के पट्टे पर हो सकती है। उन मामलों में जहाँ प्रासंगिक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कानूनों के तहत अधिकतम अनुमेय पट्टा अवधि 30 वर्ष से कम है, वहाँ राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का कानून प्रभावी होगा।

(8) निरीक्षण के समय, संस्थान का भवन विनियम 8(5) के अनुसार संस्थान के कब्ज़े वाली भूमि पर स्थायी संरचना के रूप में पूर्ण होना चाहिए, जो सभी आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित हो और मानदण्डों एवं मानकों में निर्धारित ऐसी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता हो।

(11) जब कभी शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के मानदण्डों और मानकों में परिवर्तन होते हैं, तो संस्थान संशोधित मानदण्डों में निर्धारित शर्तों के अधीन, तत्काल लेकिन अगले शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने की तिथि से बाद में नहीं, संशोधित मानदण्डों और मानकों में निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा।

16. मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात, दिनांक 15-9-2010 के आदेश में उत्तरवादी क्रमांक 2 ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"और जबकि परिषद् ने यह संज्ञान लिया कि संस्थान को शैक्षणिक सत्र 2005-06 के लिए डी.एड. पाठ्यक्रम हेतु सशर्त मान्यता केवल इस शर्त के अधीन प्रदान की गई थी कि महाविद्यालय शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले संबद्ध विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा विधिवत अनुमोदित कर्मचारियों/संकाय की सूची प्रस्तुत करेगा, जैसा कि डब्ल्यूआरसी के पत्र दिनांक 09-08-2005 में उल्लेखित था। उक्त पत्र में यह भी संकेत दिया गया था कि मान्यता का औपचारिक आदेश डब्ल्यूआरसी में अनुमोदित संकाय/कर्मचारियों की सूची प्राप्त होने के बाद ही जारी किया जाएगा।" डब्ल्यूआरसी द्वारा कोई औपचारिक मान्यता आदेश जारी नहीं किया गया था, परंतु संस्थान ने संबद्ध विश्वविद्यालय, अर्थात् पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर से

संबद्धता प्राप्त करने के पश्चात बी.एड. पाठ्यक्रम का संचालन जारी रखा। दिनांक 22-23 दिसंबर, 2009 को आयोजित डब्ल्यूआरसी की 129वीं बैठक में, डब्ल्यूआरसी ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) अधिनियम की धारा 17 के तहत अग्रसेन महाविद्यालय, रायपुर सहित मान्यता प्राप्त संस्थानों का निरीक्षण करने का निर्णय लिया। उक्त धारा यह प्रावधान करती है कि जहाँ क्षेत्रीय समिति, अपनी स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति से प्राप्त किसी अभ्यावेदन पर, इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान ने अधिनियम के किसी भी प्रावधान, या उसके तहत बनाए गए नियमों, विनियमों, आदेशों या किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है, जिसके अधीन मान्यता प्रदान की गई थी, तो वह लिखित कारणों से ऐसे मान्यता प्राप्त संस्थान की मान्यता वापस ले सकती है। वीटी रिपोर्ट दिनांक 26-02-2010 नकारात्मक थी और इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह संकेत दिया गया था कि पाठ्यक्रम चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला भवन पूरी तरह से किराये के आधार पर था, सहायक दस्तावेजों के अभाव के कारण स्वामित्व स्थापित नहीं किया जा सका, संस्थान बी.एड. के अलावा चार अन्य पाठ्यक्रम अलग-अलग समय पर चला रहा था, संस्थान के पास बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए योग्य विभागाध्यक्ष/प्राचार्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नहीं थे और प्रबंधन/सोसायटी स्पष्ट नहीं थी कि वे उसी परिसर में बी.एड. पाठ्यक्रम जारी रखेंगे या किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित होंगे जिसके लिए उनके पास संसाधन थे। परिषद् ने यह भी नोट किया कि संस्थान द्वारा किया गया यह दावा कि उसे दो भूखंडों पर दो भवनों में बी.एड. पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति दी गई थी, अर्थात् 6500 वर्ग फुट के निर्मित क्षेत्र के साथ 3360 वर्ग फुट का एक भूखंड और 1003 वर्ग फुट के निर्मित क्षेत्र के साथ 21941 वर्ग फुट का दूसरा भूखंड, सही नहीं था क्योंकि उसके आवेदन के साथ ऐसी अनुमति संलग्न नहीं थी। चूँकि उसने अपने आवेदन के साथ इसे प्रस्तुत नहीं किया था। उसने खसरा क्रमांक 1817 में 3360 वर्ग फुट भूमि के संबंध में दिनांक 01-10-1975 का एक विक्रय विलेख प्रस्तुत किया था और उस समय डब्ल्यूआरसी द्वारा प्राप्त विधिक राय ने भी यह संकेत दिया था कि परिषद् का यह विचार था कि संस्थान राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) के मानदण्डों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा था और, अतः, अपील स्वीकार करने का कोई आधार नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

और जबकि दस्तावेज़ों, अपील के ज्ञापन, शपथ-पत्र के परिशीलन के पश्चात और सुनवाई के दौरान दी गई मौखिक दलीलों पर विचार करने के बाद, परिषद् इस निष्कर्ष पर पहुँची कि अपील स्वीकार करने का कोई आधार नहीं था और इसलिए इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। तदनुसार, अपील खारिज कर दी गई और डब्ल्यूआरसी के दिनांक 18-05-2010 के आदेश की पुष्टि की गई।

17. उच्चतम न्यायालय ने चेयरमैन, भारतीय एजुकेशन सोसाइटी एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य[1] के मामले में निम्नानुसार टिप्पणी की गयी है:-

"11. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) अधिनियम, 1993 (संक्षेप में 'एनसीटीई अधिनियम') की धारा 14 शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों की मान्यता से संबंधित है। उसकी उप-धारा (1) यह प्रावधान करती है कि नियत दिन को या उसके बाद शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करने वाले या प्रदान करने का इरादा रखने वाले प्रत्येक संस्थान को, अधिनियम के तहत मान्यता प्रदान करने हेतु संबंधित क्षेत्रीय समिति को ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से आवेदन करना होगा जैसा कि विनियमों द्वारा निर्धारित किया जाए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) अधिनियम दिनांक 1-7-1995 को लागू हुआ और उक्त अधिनियम के तहत नियत दिन 17-8-1995 बताया गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) अधिनियम की धाराओं 14(1) और (5), 15, 16, और 17(3) और (4) के संयुक्त पठन से यह स्पष्ट होता है कि नियत दिन के पश्चात, कोई

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[1] **(2011) 4 एस सी सी 527**

भी संस्थान राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) द्वारा मान्यता प्राप्त किए बिना शिक्षक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारंभ या संचालित नहीं कर सकता है और परिणामस्वरूप, किसी भी छात्र को ऐसे पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण में प्रवेश नहीं दिया जा सकता है और न ही उसे ऐसे पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण से संबंधित किसी भी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकती है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) अधिनियम की धारा 16 यह प्रावधान करती है कि तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी परीक्षण निकाय किसी भी संस्थान को संबद्धता प्रदान नहीं करेगा, चाहे वह अनंतिम हो या अन्यथा, या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा संचालित पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के लिए परीक्षा आयोजित नहीं करेगा, जब तक कि संबंधित संस्थान ने धारा 14 के तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) की क्षेत्रीय समिति से मान्यता प्राप्त न कर ली हो या अधिनियम की धारा 15 के तहत किसी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के लिए अनुमति प्रस्तुत न कर ली हो।

18. शैक्षणिक पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता प्रदान करना उत्तरवादीगण की वैधानिक अधिकारिता के भीतर है, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) अधिनियम, 1993 के प्रावधानों और विनियम, 2005 के साथ पठित है। यह न्यायालय वर्तमान मामले के तथ्यों और विवादों की जांच नहीं कर सकता है। तथ्यों को केवल कुछ दस्तावेजों के आधार पर आक्षेपित किया गया है, जिन्हें याचिककर्ता संस्थान द्वारा दिनांक 18-5-2010 को मान्यता वापसी का प्रथम आदेश पारित होने के बाद प्राप्त किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. उच्च न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, वस्तुनिष्ठ विचार पर विशेषज्ञों द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। अतः, इस याचिका में कोई सार नहीं है।

20. परिणामस्वरूप, रिट याचिका, आधारहीन होने के कारण, खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है। हालांकि, याचिककर्ता संस्थान के पास अधिकारियों से पुनः संपर्क करने का विकल्प खुला है, यदि संस्थान विधि के अनुसार मान्यता प्रदान करने की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करता है, यदि ऐसी सलाह दी जाए।

21. वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By: PURUSHOTTAM DWIVEDI